# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 28/2017/ जिला–नागौर (2017/00131)**

हड़मान सिंह उर्फ हनुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री खींव सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलांट

## बनाम

1. भैरू सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी बमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. सिरे कंवर पुत्री स्व0 किशन सिंह जाति राजपूत
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
4. पटवारी पटवार हलका मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना दिनांक 10–05–2017
अपील संख्या 01/2011 बउनवान श्री भैरू सिंह बनाम
सिरे कंवर व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत लोढ़ा अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री पाबूदान सिंह राठौड़ अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

## निर्णय

दिनांकः– 9.5.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 360 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 2 सिरे कंवर के द्वारा अपने हक व हिस्से की लगभग 4 बीघा 05 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 27–9–2010 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत, मौलासर द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 को खोला गया। उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर एक दीगर पक्षकार जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में पक्षकार ही नहीं था एक मियाद बाहर अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष प्रेषित की जिसे उन्होंने अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधि विरूद्ध तरीके

से रेस्पोन्डेन्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–5–2017 खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि उनके समक्ष प्रस्तुत की गई प्रथम अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भैरू सिंह पक्षकार ही नहीं था इस कारण उसे प्रथम अपील प्रस्तुत करते वक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण में यदि धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के बिना अपील प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे प्रकरण में अपील भी दर्ज नहीं की जा सकती है ना ही उस पर मेरिट्स पर कोई अभिनिर्णय किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवधि बाधित अपील को बिना धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को रेकार्ड पर लिये तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के कार्यालय से दिनांक 10–5–2017 को केम्प मौलासर में नियत कर दिया एवं अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की अनुपस्थिति होते हुए भी उसकी अनुपस्थिति में ही अपील को मेरिट्स पर अभिनिर्णित कर दिया जो कि पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया एवं विधिक सिद्धान्त के पूर्णतया विपरीत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अगर अपीलांट अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में मेरिट्स पर किसी भी प्रकार कर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि ''पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर मौलासर पर प्रस्तत हुई। अपीलांट अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उपस्थित'' प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 ग्राम मौलासर से संबंधित अभिलेख ग्राम पंचायत मौलासर से लम्बे समय से प्राप्त होना वांछित है। शिविर के दौरान सचिव ग्राम पंचायत से अभिलेख तलब किया गया जो उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त आदेशिका से स्पष्ट हैकि तत्समय अपीलांट/रेस्पोन्डेन्ट्स बरवक्त आदेश अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थे फिर भी उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह भी मान लिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का पूर्व में विक्रय किया गया तत्पश्चात हकतर्क का दस्तावेज निष्पादित किया गया। जबकि उनके समक्ष इस संबंध में मूल दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं थे फिर भी उनके द्वारा बिना मूल दस्तावेजों को देखें व जांचे बगैर विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायलय ने उक्त तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अगर रेस्पोन्डेन्ट्स के कोई कानूनी हक व अधिकार है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करना चाहिए परन्तु अपीलांट के मौजूदा प्रकरण में किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान नहीं की जा सकती है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से रेस्पोन्डेन्ट्स की अपील को बिना आधारों के स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–5–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने तर्क दिये कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा ग्राम मौलासर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 360 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार सिरे कंवर व अन्य थें इस भूमि में सह खातेदार सिरे कंवर द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भैरू सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखकर विक्रय कर दी तथा कब्जा भी रेस्पोन्डेन्ट को सुपुर्द कर दिया है। तत्पश्चात ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलांट को हकत्याग किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई व दस्तावेजों के आधार पर जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 360 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा में से रेस्पोन्डेन्ट संख्या संख्या 2 सिरे कंवर के द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 28–9–2010 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत, मौलासर द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 को खोला गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सिरे कंवर द्वारा अपने हिस्से की आराजियात में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भैरू सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 1132/1994 दिनांक 25–10–94 लिखकर विक्रय कर दी तथा कब्जा भी अपीलांट के सुपुर्द कर देने का उल्लेख है। पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 25–4–2011 में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम मौलासर का नामान्तरकरण संख्या 1926, खसरा नम्बर 360 कुल रकबा 23.13 बीघा में से खातेदार सिरेकंवर पुत्री किशन

सिंह कौम राजपूत द्वारा सहखातेदार हडमान सिंह पुत्र खींव सिंह कॉम राजपूत को अपना हिस्सा की भूमि हकतर्कनामा दिनांक 28–9–2010 द्वारा हकतर्क करने पर हकतर्कनामा दस्तावेज तहसील से प्राप्त होने पर मेरे द्वारा दर्ज कर दिनांक 4–10–2010 को किया गया है जिसकी जांच भू.अ.निरीक्षक द्वारा की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 की ग्राम पंचायत बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 5–10–2010 को ग्राम पंचायत द्वारा निस्तारण के बाद इसका राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि सिरे कंवर ने दिनांक 25–10.–1994 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान संख्या 1132 /1994 दिनांक 25–10–94 को रेस्पोन्डेन्ट भैरू सिंह के पक्ष में 3.10 बीघा भूमि की बेचान बाबत जानकारी नहीं होना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सिरे कंवर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 1132 दिनांक 25–10–94 को श्री भैरू सिंह पुत्र भंवर सिंह को 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि बेचान की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत मौलासर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा विवादग्रस्त आराजात का अपीलांट के पक्ष में हकतर्क करने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 स्वीकृत किया गया है जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से विवादग्रस्त आराजी( रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलांट के पक्ष में हकतर्क किये जाने से लगभग 16 वर्ष पूर्व) क्रय की गई है जिसका उक्त नामान्तरकरण में उल्लेख नहीं है, जिससे विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड दस्तावेज विद्यमान है तब तक उसे निरस्त कराये बिना दूसरा रजिस्टर्ड दस्तावेज न तो निष्पादित किया जा सकता है एवं न ही उसकी कोई वैधता है। अर्थात पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर उसे निरस्त कराये बिना द्वितीय रजिस्टर्ड हकतर्कनामें की कोई अहमियत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मौलासर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1926 दिनांक 5–10–2010 निरस्त कर दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर व दस्तावेजों के आधार पर पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–05–2017 अन्तर्गत अपील संख्या 01/2011 बउनवानी भैरू सिंह बनाम सिरेकंवर व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

**(हनुमान सहाय मीना)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**